

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय ब्लॉक-1, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नया रायपुर  
कमांक/03/एफ 01-60/नर्सिंग/2018/ 783 अटल नगर, रायपुर दिनांक 24-09-2018

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के विज्ञापित कमांक नर्सिंग/220/2017/903,  
दिनांक 07.12.2017 में संशोधन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में स्टॉफ परिचारिका (स्टॉफ नर्स) के कुल 994 रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से इस कार्यालय के पत्र कमांक/नर्सिंग/220/2017/903, दिनांक 07.12.2017 को विज्ञापन जारी करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में दिनांक 13.12.2017 को प्रकाशित हुआ था।

उक्त विज्ञापन में स्टाफ नर्स के पदों की पूर्ति करने हेतु जारी किये गये सामान्य नियम एवं शर्तों की कंडिका 13 में निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये थे।

कंडिका 13:- व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के द्वारा आयोजित परीक्षा में अ.ज.जा. एवं अ.जा. उम्मीदवार के लिए 35 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य उम्मीदवार के लिए 45 प्रतिशत न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। उक्त से कम अंक प्राप्त होने पर चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

विज्ञापन में प्रकाशित उपरोक्त कंडिका-13 को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

“सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अर्हकारी अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 23 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।”

संचालक, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।

be  
संयुक्त संचालक (नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
छत्तीसगढ़